[1]संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

(सं0 आ0 65)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते करते हुए, राष्ट्रपति के अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वहां तक के उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

अनुसूची

1. घोडिया
2. दुबला जिनके अन्तर्गत हलपति आते हैं
3. कोथोडी
4. कोकना
5. कोली ढोर जिनके अन्तर्गत कोलघा आते हैं
6. नायकडा या नायक
7. वरली ।

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 891, तारीख 30 जून, 1962, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 389 पर प्रकाशित ।